साइमन कमीशन (SIMON COMMISSION)

परिचय (Introduction) :- सन 1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में यह व्यवस्था की गई थी। अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक सांविधानिक आयोग की नियुक्ति की जायेगी जो यह जाँच करेगी कि भारत सरकार अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में और आगे कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। 10 वर्ष 1929 में पूरे होने को थे, अतः 1929 में ऐसे आयोग की नियुक्ति की जानी थी। 1919 का ऐक्ट 1921 में लागू किया गया था इसलिए 1931 तक भी की जा सकती थी, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया और भारतीय नेताओं को दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन इस योजना में कोई सार तत्व भारत के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ा। महात्मा गाँधी बहुत उदास हो गये और गाँधीजी ने कहा कि इस सूचना को एक आने के लिफाफे में भी भेज सकते थे। इस प्रकार 08 नवम्बर 1927 में ही भारतीय सुधारों की जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया जिसे साइमन कमीशन कहा गया।

साइमन कमीशन की समय से पूर्व नियुक्ति के कारण (Causes of the appointment of Simon Commission before time) :-

(I) इंगलैण्ड में आम चुनाव :- उस समय इंगलैण्ड में अनुदार दल की सरकार थी, किन्तु 1929 में आम चुनाव होने वाले थे जिनमें मजदूर दल की विजय की पूरी सम्भावना थी। अनुदार दल यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय मजदूर दल के हाथ में हो।

(II) साम्प्रदायिक दंगे :- अनुदार दलीय सरकार भारत में ऐसे जाँच आयोग भेजने के लिए उत्सुक थी, जबकि साम्प्रदायिक दंगे अपने सबसे बुरे रूप में विद्यमान हो जिससे कमीशन भारत के सामाजिक-राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्र समझ सके।

(III) राष्ट्रीयता के प्रवाह को रोकना :- साम्राज्यवादियों को उम्मीद थी कि सुधारों के प्रस्तावों पर नियत समय से दो साल पहले कार्य शुरू करके राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ने से रोक दिया जायेगा।

(IV) स्वराज दल को दुर्बल करना :- 1922 के बाद भारतीय राजनीति में स्वराज दल का प्रभाव और शक्ति बढ़ गई थी। बंगाल और मध्य प्रान्त के विधानमण्डलों में अपनी असहयोग और अवरोध की नीति के द्वारा उसने विधानमंडलों को प्रायः ठप्प कर दिया और द्वैध शासन की व्यवस्था को बिलकुल ही चलने नहीं दिया। अतः ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कमीशन का उपयोग स्वराज दल को दुर्बल करने के लिए करना चाहते थे और इस दृष्टि से 1927 का वर्ष उपयुक्त था।

(V) [illegible] :- 1925 के बाद काँग्रेस में गरम दल का उदय हुआ

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(v) केन्द्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन :- कमीशन ने केन्द्रीय शासन व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं सुझाया। केन्द्रीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन बाद में जब देश की व्यवस्था का संघीय आधार पुनर्गठन हो जाए, तब हो सकते हैं।

(vi) केन्द्रीय विधानमंडल :- कमीशन के अनुसार संघ व्यवस्था का निर्माण करने से केन्द्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल में प्रान्तों व देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल के उच्च सदन राज्यसभा को संघीय आधार पर गठित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय विधानमंडलों द्वारा परोक्ष रीति से किया जा सकता है।

भारतीय जनता द्वारा साइमन रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने के कारण :-

(i) रिपोर्ट में भारतीयों की डोमिनियन स्टेटस की माँग की पूर्ण उपेक्षा की गई थी।

(ii) केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गयी थी।

(iii) प्रान्तों में उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना का प्रावधान तो किया गया था लेकिन प्रान्तीय गवर्नरों को कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ प्रदान करने की सिफारिश की गई जिससे उत्तरदायी शासन मजाक बनकर रह जाता।

(iv) रिपोर्ट में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को पूर्ववत जारी रखने की सिफारिश की गई।

(समाप्त)

डॉ॰ राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी॰ के॰ - कॉलेज, डुमराँव
दिनांक - 25/08/20

1928 ई० को भारत वर्ष में पहुँचा और 31 मार्च को वापस इंग्लैण्ड चला गया। इसके बाद उसी वर्ष 11 अक्टूबर को भारत में आया और 13 अप्रैल 1929 तक यहाँ रहा। दोनों बार भारत का भ्रमण किया, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो गया। मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लाहौर आदि सभी बड़े-बड़े नगरों में जहाँ भी कमीशन गया, भारतीय जनता ने उसका पूर्ण हड़तालों, जुलूसों, काली झंडियों और साइमन वापस जाओ के नारों से स्वागत करके अपने असंतोष का प्रदर्शन किया। जब कमीशन लाहौर पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने पंजाब के शेरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया। दुर्भाग्यवश एक जोरे पुलिस अधिकारी मि० साण्डर्स (Mr. Saunders) ने लालाजी की छाती पर लाठी का प्रहार किया। वृद्ध और बिमार लालाजी चोटों को सहन न कर सका और कुछ ही दिनों के बाद स्वर्गवासी हो गये। कलकत्ता में सुभाषचन्द्र बोस ने 'इंकलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाये। कलकत्ता का कमीशन विरोधी प्रदर्शन बड़ा प्रभावशाली रहा।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट : प्रमुख सिफारिशें – मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की गई थी और उसमें डोमीनियन स्टेट्स की चर्चा तक नहीं थी। इसके विपरीत जातिगत तथा साम्प्रदायिक मतभेदों का विस्तार से वर्णन किया गया था जो निम्नलिखित है।

(i) **उत्तरदायी शासन की असफलता** – साइमन रिपोर्ट के अनुसार भारत में संसदीय अथवा उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा है।

(ii) **द्वैध शासन की समाप्ति तथा प्रान्तीय स्वशासन** – 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन अनेक आंतरिक दोषों के कारण असफल रहा है, अतः द्वैध शासन का तुरन्त अन्त कर देना चाहिए और प्रान्तों में विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को शासन का भार सौंप दिया जाना चाहिए।

(iii) **संघ व्यवस्था की स्थापना** – भारत के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है और निकट भविष्य में भारत के लिए एक संघ व्यवस्था की स्थापना की जाए। इस संघ में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और समस्त देशी रियासतें शामिल होंगी।

(iv) **साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व** – आयोग के अनुसार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निन्दनीय है, किन्तु फिलहाल उसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि "हम इस विषय पर सर्वसम्मत हैं कि किसी भी प्रांत में मुसलमानों का साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहिए। मुसलमान मतदाताओं को इस विशेष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।

(v) **वयस्क मताधिकार अव्यवहारिक** – आयोग के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात सोचना अव्यवहारिक है, किन्तु धीरे-धीरे मताधिकार और विधानमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिए।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(iv) आजाद हिन्द फौज से संबंध :- सुभाष चन्द्र बोस ने जर्मनी और फिर वहाँ से जापान गया पूर्वी एशिया का दौरा कर वहाँ बसे भारतीयों को संगठित कर आजाद हिन्द फौज का गठन किया था। इससे भी ब्रिटिश सरकार चिन्तित थी।

(v) गाँधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण :- यह दृष्टिकोण था कि भारत युद्ध प्रयत्नों में उसी समय सहयोग दे सकता है जबकि ब्रिटेन यह घोषणा करे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जायेगी।

(vi) गाँधीजी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह :- माइकल ब्रेचर के अनुसार, "क्रिप्स मिशन भारत भेजे जाने का एक कारण महात्मा गाँधी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह था।"

क्रिप्स योजना की मुख्य बातें :- 22 मार्च, 1942 को सिर क्रिप्स दिल्ली आये और अपने 20 दिन के प्रवास में कांग्रेस, लीग, हिन्दू महासभा, उदार वादियों, दलित वर्ग और देशी नरेशों के प्रतिनिधियों से भेंट की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे जिसे 'क्रिप्स प्रस्ताव' या 'क्रिप्स योजना' कहा जाता है।

क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य दो भाग थे :- (क) युद्धोत्तरकालीन प्रस्ताव और (ख) युद्धकालीन तात्कालिक प्रस्ताव।

युद्धोत्तरकालीन प्रस्ताव निम्नलिखित थे - (i) उपनिवेश तथा अधिराज्य की स्थापना - संघ की सरकार ने भारत में जल्द से जल्द स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है। भारत के दूसरे अधिराज्यों की ही तरह सब अधिकार दिए जायेंगे।

(ii) संविधान सभा की स्थापना - युद्ध समाप्ति पर जल्दी से जल्दी एक संविधान सभा का निर्वाचन कराया जायेगा, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी।

(iii) संविधान सभा में भारतीय रियासतें भी भाग लेंगी।

(iv) संविधान सभा का गठन :- क्रिप्स प्रस्तावों में यह भी बताया गया कि यदि भारतीय लोग एक मत से संविधान सभा के गठन पर सहमत नहीं हो पाते तो सभा का गठन उनके बताये गये तरीके से होगा।

(v) प्रान्तों या देशी रियासतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार :- जो प्रान्त या देशी रियासत संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाये रख सकते हैं और चाहे तो बाद में भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं।

(vi) संधि :- भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होगी, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा और अन्य विषयों का वर्णन होगा जो सत्ता हस्तान्तरण करने से उत्पन्न होंगे।

(vii) राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार :- क्रिप्स प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि भारत चाहेगा तो वह राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध-विच्छेद कर सकेगा।

(ख) युद्धकालीन तात्कालीन प्रस्ताव :- (i) ब्रिटिश सरकार का भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व :- इस युद्ध के नाजुक समय में भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा।

(ii) भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता :- यह आशा की गई है कि उपर्युक्त सभी कार्य भारतीयों के सहयोग से ही हो सकते हैं।